

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश  
गौतम नगर, भोपाल 462021  
दूरभाष-91-0755-2583650 फेक्स-91-0755-2583651  
ई-मेल dpinmp@sancharnet.in

क्रमांक/शि.क./2010/151  
प्रति

भोपाल दिनांक 07/08/2010

1. समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश
3. समस्त जिला परियोजना समन्वयक मध्यप्रदेश

विषय :-शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षकों/अध्यापकों की लंबित समस्याओं का निराकरण करने के संबंध में दिनांक 12 सितम्बर 2010 को शिविर का आयोजन।

विषयान्तर्गत शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 12 सितम्बर 2010 को जिला मुख्यालयों पर गतवर्ष की भांति शिक्षक समस्या निवारण शिविर का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी शिविर आयोजन की तारीख से पूर्व जिले में लंबित शिक्षकों/अध्यापकों की समस्याओं से संबंधित सूची तैयार करेंगे तथा संबंधित शिक्षकों को अपने कार्यालय में आमंत्रित करेंगे।


2. शिक्षक समस्या निवारण शिविर के आयोजन की रूपरेखा निम्नानुसार है:-
  - 2.1 जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षक समस्या निवारण शिविर के संयोजक रहेंगे। जिला परियोजना समन्वयक सहयोगी रहेंगे।
  - 2.2 शिविर स्थल पर शिक्षक समस्या निवारण शिविर का बैनर लगाया जाये।
  - 2.3 शिविर का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। विज्ञापित जारी की जाये।
  - 2.4 जिला शिक्षा अधिकारी शिविर में विकास खण्ड वार समस्याओं के निराकरण हेतु विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को दायित्व सौंपेंगे।
  - 2.5 मध्यप्रदेश शासन की टोल फ्री समाधान योजना के अंतर्गत टोल फ्री नंबर 155343 पर दर्ज लंबित शिकायतों की विकासखण्डवार सूची तैयार की जाए।
  - 2.6 स्कूल शिक्षा विभाग के एजुकेशन पोर्टल की वेबसाइट [www.educationportal.mp.gov.in](http://www.educationportal.mp.gov.in) पर दर्ज शिकायतों की भी विकासखण्डवार सूची तैयार की जाए। इसको अद्यतन किया जाए।
  - 2.7 उक्त के अतिरिक्त जिला/विकासखण्ड/शाला स्तर पर लंबित प्रकरणों की भी विकासखण्डवार सूची तैयार की जाए।
  - 2.8 उक्त तीनों प्रकार की शिकायतों की सतत मानिट्रिंग की जाए। निराकरण हेतु प्रत्येक स्तर पर समुचित कार्यवाही की जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त सभी शिकायतों/समस्याओं का निराकरण 31 अगस्त 2010 तक अनिवार्यरूप से हो जाए। जो समस्याएं वरिष्ठ कार्यालय/संभागीय कार्यालय/संचालनालय/मंत्रालय आदि स्तर से निराकृत होना है उन्हें एकल नस्ती में तैयार कर जिले के उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी को संबंधित कार्यालय में भेजकर व्यक्तिगतरूप से निराकृत करवायें तथा शिविर में प्रकरण वार जानकारी/निराकरण की स्थिति शिक्षकों को उपलब्ध कराई जाए तथा इसका प्रदर्शन शिविर स्थल पर बोर्ड पर भी किया जाए।
  - 2.9 शिक्षकों/अध्यापकों द्वारा शिविर में ही प्रस्तुत की गयी समस्याओं/प्रकरणों को पंजीबद्ध कराने की व्यवस्था करें। पूर्व में लंबित तथा शिविर के दौरान प्राप्त प्रकरणों का मौके पर ही यथासंभव निराकरण करें।

3. शिविर में आयुक्त लोक शिक्षण के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे, अतः उक्त 2.8 का प्रतिवेदन तथा 2.9 अनुसार शिविर में निराकृत किये गये प्रकरणों की सूची, प्रतिवेदन तथा अनिराकृत समस्याओं की नस्तियां तैयार कर उन्हें उपलब्ध करायें।

4. दिनांक 1,2,3 अगस्त, 2010 को प्रदेश के सभी जिलों में उपस्थित होकर संचालनालय के अधिकारियोंद्वारा शिक्षक समस्या निवारण के संबंध में दिये गये निर्देशों का पालन प्रतिवेदन भी 12 सितम्बर, 2010 को शिविर में उपस्थित संचालनालय के अधिकारी को उपलब्ध कराया जाए।

5. यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रति मंगलवार मंत्रालय में प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा द्वारा चयनित जिले के जिला शिक्षा अधिकारियों से जिले में लंबित न्यायालयीन प्रकरण तथा शिक्षकों की लंबित समस्याओं की समीक्षा की जाएगी। अतः जो चयनित जिला शिक्षा अधिकारी मंगलवार को प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा के समक्ष उपस्थित हों वे एकल नस्ती में लंबित प्रकरण अनिवार्यतः लाएंगे तथा इसके पूर्व चयनित जिला शिक्षा अधिकारी सोमवार को आयुक्त लोक शिक्षण से व्यक्तिशः चर्चा करेंगे।

6. उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा 12 सितम्बर, 2010 को पूर्ण तैयारी के साथ समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जाए।

  
(बी. आर. नायडू)

आयुक्त लोक शिक्षण  
मध्यप्रदेश


07/08/2010

पृष्ठांकन/क्रमांक क्रमांक/शि.क./2010/152

भोपाल दिनांक 07/08/2010

प्रतिलिपि

1. विशेष सहायक मान. मंत्री जी/राज्यमंत्री जी स्कूल शिक्षा म. प्र. शासन।
2. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग।
3. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त जनसंपर्क मध्यप्रदेश।
5. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि विभागान्तर्गत शिक्षकों की समस्याओं के प्रभावी निराकरण हेतु उक्तानुसार निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश को निर्देशित किया जाता है कि अपने संभागान्तर्गत उक्तानुसार शिविर के व्यवस्थित संचालन हेतु हेतु प्रत्येक जिले के लिए नोडल अधिकारी/कर्मचारी को अधिकृत किया जाये तथा प्रतिदिन मानीटरिंग की जाये।
7. समस्त अधिकारीगण (स्थानीय) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संचालनालय से संबंधित कक्ष में उक्तानुसार लंबित समस्याओं का निराकरण करने हेतु त्वरित, सार्थक, प्रभावी एवं सकारात्मक भूमिका का निर्वाह सुनिश्चित करे।

  
आयुक्त लोक शिक्षण  
मध्यप्रदेश  
07/08/2010